fssai FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

तुरंत जारी करने के लिए

प्रेस विज्ञप्ति

कोविडः19 के दौरान एफएसएसएआई द्वारा आयात निर्मुक्ति और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ अनिवार्य सेवा के रूप में वर्गीकृत

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2020: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) ने खाद्य वस्तुओं की आयात निर्मुक्ति और अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला सहित) के कार्यकरण को कोविड–19 के दौरान अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत अधिसूचित किया है।

व्यापार में सहायता करने के साथ–साथ देश में संबंधित सेवाओं की प्रदायगी सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त अनिवार्य सेवाओं के सभी कार्मिकों का सोमवार से शुक्रवार तक 09:30 पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक सभी कार्यदिवसों को कार्यालय में उपलब्ध रहना अपेक्षित है।

एफ.एस.एस.ए.आई के कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कोचीन और टुटिकोरिन में 6 जगहों पर हैं और आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई और अनापत्ति प्रमाण–पत्रों को समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए ये सभी कार्यालय आवेदनों की जाँच करने, आयात निर्मुक्ति के लिए खाद्य वस्तुओं के देखकर निरीक्षण करने और नमूने लेने के लिए पूरी तरह काम कर रहे हैं। अतः सभी आयातकों को परामर्श है कि वे अपने क्लीयरिंग एजेंटों को तदनुसार सूचित कर दें।

जिन आयातकों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो अथवा जिन्हें इस संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण चाहिए, वे एफ.एस.एस.ए.आई के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें अथवा अपनी शंकाओं को import@fssai.gov.in पर ई–मेल करें। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के विवरण एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एफ.एस.एस.ए.आई मामले पर निकट दृष्टि रखे हुए है। यह खाद्य आयातकों की सहायता करने के साथ–साथ खाद्य वस्तुओं की निगरानी और उनका परीक्षण नियमित रूप से कराते रहना जारी रखेगी तथा खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी।

मीडिया पूछताछ के लिए संपर्क करें :

रुचिका शर्मा
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
ई–मेल : sharmaruchika.21@gmail.com